आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

सुश्री सुचित्रा आर. कांबले, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 468 तथा 469/इंदौर/2024
निर्धारण वर्ष : 2013-14 तथा 2014-15

अतीक अहमद, 4/5 ई अशोका गार्डन भोपाल	बनाम	आयकर अधिकारी 2(5), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं- एडीजीपीए 3390 एन PAN- ADGPA3390N		

अपीलार्थी की ओर से	कोई नहीं
राजस्व की ओर से	श्री राम कुमार यादव, आयकर आयुक्त-विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	19.02.2025
उद्घोषणा तिथि	28.02.2025

आदेश

श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपीलें विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, दिल्ली के दो पृथक आदेशों दोनो दिनांक 30.04.2024 के विरूद्ध निदेशित है।

2. इन अपीलों के संबंध में निर्धारिती ने लिखित निवेदन किया है कि निर्धारिती ने "**प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024**" के अधीन आवेदन किया है तथा फार्म सं. 1 दाखिल किए हैं । निर्धारिती के आवेदन के उत्तर में विभाग द्वारा निर्धारिती को फार्म सं. 2 जारी किए गए है । निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए विभाग द्वारा जारी फार्म सं. 4 तथा निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए फार्म सं. 3 की प्रतियां प्रस्तुत की हैं । उक्त योजना के

नियमों के अनुसार, निर्धारिती से ये अपीलें वापिस लेना अपेक्षित है । अतः निर्धारिती वर्तमान अपीलों का अनुसरण करने का इच्छुक नही है । निर्धारिती ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपीलों को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है। अतः हम इन अपीलों को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा इन्हें वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

3. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार, विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि उसका इस योजना में भाग लेने हेतु किए गए आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से अस्वीकृत किए जाते है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपीलें वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 28.02.2025 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-
(सुचित्रा आर.कांबले)
न्यायिक सदस्य

हस्ता/-
(बी.एम. बियाणी)
लेखा सदस्य

दिनांक : 28.02.2025

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल